



सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता



झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,
सेक्टर-2, धुर्वा, राँची।

वाहनों की नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

सू०सं०- 5439

दिनांक-29/07/2019

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, जहाँ है, जैसा है की स्थिति में मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के निम्नांकित निष्प्रायोजित वाहनों की नीलामी हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है:-

क्र०सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	क्रय/ प्राप्ति का वर्ष	न्यूनतम निर्धारित मूल्य	वाहन पड़ाव स्थल
1	Jh01A2602	Tata Safari	2001	85000	मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची।
2	Jh01A2603	Ambassador Car	2001	15000	
3	Jh01T6888	Maruti Car (Omni)	2006	25000	
4	Jh01T3835	Indigo	2007	45000	

2. निविदादाता का नाम

-संयुक्त मुख्य निर्वाचन -सह- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची।

3. निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि


-05.08.2019 (4:00 बजे अपराह्न तक)

4. नीलामी का स्थान/समय

-मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग का कार्यालय परिसर दि०-05.08.2019

5. नीलाम किये गये वाहनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि -12.08.2019

6. निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें विभागीय वेबसाईट www.ceo.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है।


(महदेव धान)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
-सह- संयुक्त सचिव।

निविदा प्रपत्र

1. निविदादाता का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. वर्तमान पता :-

4. दूरभाष संख्या :-
5. वाहन संख्या :-
(जिसके लिए निविदा दी जा रही है)
6. बैंक ड्राफ्ट का विवरणी :-
 - (क) बैंक ड्राफ्ट का नम्बर :-
 - (ख) जारीकर्ता बैंक का नाम :-
 - (ग) राशि :-
 - (घ) जारी करने की तिथि :-

घोषणा-पत्र:-

मैं पिता/पति
पता एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि
निविदा प्रपत्र में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है। यदि किसी प्रकार का
तथ्य गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

निविदा का हस्ताक्षर



झारखण्ड सरकार

सुदृढ़ प्रजातंत्र हेतु वृहत्तर सहभागिता



झारखण्ड सरकार
मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग,
सेक्टर-2, धुर्वा, राँची।

विभागीय वाहनों की निलामी संबंधी निविदा की शर्त:-

1. मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची से संबंधित कोई भी व्यक्ति विभागीय वाहनों की नीलामी हेतु निविदा समर्पित नहीं करेंगे।
2. प्रत्येक वाहन हेतु पृथक-पृथक मुहरबंद निविदा प्रति वाहन रु0 5,000 (पाँच हजार) मात्र की जमानत राशि (अलग-अलग) बैंक ड्राफ्ट के साथ में "मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड" के नाम से देय होगा।
3. मुहरबंद निविदा दिनांक-05.08.2019 तक कार्यालय अवधि में अप0 4.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के पास जमा किया जायेगा।
4. नीलाम किये जाने वाले वाहनों का निरीक्षण नीलामी की तिथि के पूर्व किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
5. नीलामी में सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी सम्पन्न होने के बाद नीलामी की राशि का 25% राशि जमा करना होगा (जमानत राशि को छोड़कर)।
6. वाहन विशेष हेतु एकल निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
7. सफल निविदादाता का जमानत राशि रु0 5,000 (पाँच हजार) मात्र लौटाई नहीं जायेगी, बल्कि निविदा मूल्य में समायोजित कर दी जायेगी। अन्य बोली लगाने वाले की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।
8. न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम बोली नहीं लगाई जायेगी। न्यूनतम निर्धारित मूल्य से कम बोली लगाने वाले की निविदादाता की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। बोली 1000 के क्रमिक बढ़ोतरी पर ही मान्य होगा।
9. नीलामी में सिर्फ निविदा भरने वाले प्रतिभागी ही भाग ले सकेंगे। प्रतिभागी को बोली के समय अपने पहचान के तौर पर कोई भी पहचान पत्र रखना आवश्यक होगा।
10. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को रद्द करने/स्थगित करने का अधिकार होगा। नीलामी के दरम्यान किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
11. सफल निविदादाता को उक्त वाहन यथा स्थान/यथा स्थिति एवं उपलब्ध कागजात के आधार पर बोली की रकम में से जमा अग्रधन की राशि घटाने के पश्चात् शेष बची राशि नगद जमा कर अंतिम तिथि 12.08.2019 तक वाहन प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा। वाहन के कागजातों की अद्यतनीकरण की जबाबदेही सफल निविदादाता की होगी।

(महादेव झा)

संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
—सह— संयुक्त सचिव।